उत्तर प्रदेश शासन

वित्त संसाधन (सामान्य अनुभाग)

संख्या:-2/2015-आर0जी0-918/दस-70/2015

लखनऊ : 01 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-243(आई) तथा 243(वाई) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल पंचम राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय) का गठन करते हुए सेवानिवृत्त आई0ए0एस0 श्री आनन्द मिश्र को आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए नियुक्त करते हैं । आयोग एक वर्ष के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

आज्ञा से तथा राज्यपाल उ0प्र0 के नाम से

आलोक रंजन
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ।

संख्या: 2/2015-आर0जी0- 918(1)/दस-70/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
3- प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन ।
4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
5- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- श्री आनन्द मिश्र, पूर्व कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(मुकेश मित्तल)
सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in